



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4166-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 9771 सन् 2025

पोएम जैसवार

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ एवं 1 अन्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- चन्द्र मोहन सिंह, राजेश कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- ए.एस.जी.आई., संजय द्विवेदी

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

न्यायालय संख्या -1

माननीय न्यायमूर्ति अजित कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी द्वारा प्रदत्त)

1. श्री गौरव पाण्डेय, अधिवक्ता, जो श्री राजेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के पैरोकार हैं, तथा श्री संजय द्विवेदी, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संस्थित वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो दो वर्ष की नाबालिग बालिका है तथा अपनी माता के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसके पक्ष में पासपोर्ट जारी करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निदेश जारी किए जाने की प्रार्थना करती है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि चूँकि याचिकाकर्ता नाबालिग है, अतः उसने अपनी माता के माध्यम से दिनांक 17.01.2025 को पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु आवेदन किया, जिसे दिनांक 27.01.2025 को पंजीकृत किया गया और पासपोर्ट आवेदन संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



LK3060650744225 आवंटित की गई। उन्होंने यह भी कथन किया कि आवेदन, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय के समक्ष दाखिल किया गया, तथापि उसके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता के मध्य वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप माता ने याचिकाकर्ता के पिता एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है, जो कि मामला अपराध संख्या 0042/2024, धारा 498-ए, 323, 504, 506, 406 भा.द.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना महिला थाना, जनपद जौनपुर में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि केवल माता-पिता के मध्य उक्त आपराधिक मामले की लंबितता के कारण, संबंधित पासपोर्ट प्राधिकरण ने मौखिक रूप से पासपोर्ट जारी करने की कार्यवाही आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण याचिकाकर्ता के पिता सहयोग नहीं कर रहे हैं और पासपोर्ट जारी करने हेतु सहमति देने से इनकार कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह अभिकथन है कि पिता की ऐसी असहयोगिता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत नाबालिग बच्ची के अधिकारों के उल्लंघन का स्वीकार्य कारण नहीं हो सकती।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और इसे माता-पिता के मध्य के विवाद के कारण नाबालिग के संदर्भ में सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय के साथ बार-बार पत्र-व्यवहार किए जाने के बावजूद पासपोर्ट आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और आवेदन की ऐसी निरंतर लंबितता, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के उल्लंघन में तथा प्रशासनिक विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों एवं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट आवेदन केवल उसके माता-पिता के मध्य वैवाहिक या आपराधिक विवादों के आधार पर लंबित रखा जा सकता है।

8. वर्तमान याचिका की लंबितता के दौरान, इस न्यायालय ने दिनांक 10.04.2025 के आदेश द्वारा, पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, प्रत्यर्थागण का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को निदेश दिया कि वे पासपोर्ट न जारी किए जाने के कारणों के संबंध में लिखित अनुदेश प्राप्त करें, अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में पासपोर्ट जारी किए जाने के संबंध में अनुदेश प्रस्तुत करें।

9. दिनांक 10.04.2025 के आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्था प्राधिकरणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अनुदेशों के आधार पर कथन किया कि सहायक पासपोर्ट अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा दिनांक 22.04.2025 को याचिकाकर्ता को एक पत्र भेजा गया। उक्त पत्र की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के पासपोर्ट आवेदन को संसाधित करने एवं पासपोर्ट जारी करने से संबंधित अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए, याचिकाकर्ता को पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ कार्यदिवसों में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे के मध्य संबंधित कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

10. अधिवक्ता के कथनों और प्रत्यर्था का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर रखे गए पत्र से यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट प्राधिकरण ने आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत नहीं किया है, अपितु विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कतिपय दस्तावेज माँगे हैं। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इन अपेक्षाओं का अनुपालन होने पर पासपोर्ट आवेदन को विधि के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

11. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, हम यह उचित समझते हैं कि उस विधिक स्थिति की परीक्षा की जाए जो किसी नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी किए जाने के संबंध में है जहाँ एक माता-पिता वैवाहिक विवादों के कारण सहयोग नहीं कर रहे हों।

12. पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेश यात्रा करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक पहलू है और इसे माता-पिता के मतभेदों के आधार पर मनमाने ढंग से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर, हम नाबालिग के अधिकार के विषय पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समान तथ्यों एवं परिस्थितियों में अन्य न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों तथा संगत सांविधिक उपबंधों का परीक्षण करना उचित समझते हैं।

13. यह विधि के रूप में सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति में विदेश यात्रा करने का अधिकार सम्मिलित है और किसी भी व्यक्ति को उस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है तथा विधि द्वारा विहित प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी अथवा मनमानी। सर्वोच्च न्यायालय ने **मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस.सी.सी. 248** में यह अभिनिर्धारित किया कि यात्रा का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आयाम के भीतर सम्मिलित है, और ऐसे अधिकार को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को न्यायसंगतता, युक्तियुक्तता एवं अनियंत्रिता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। **मेनका गांधी (उपरोक्त)** में न्यायमूर्ति एम.एच. बेग ने यह अभिमत व्यक्त किया कि: 7. उपर्युक्त अवलोकनों सहित, प्रस्तुत याचिका निस्तारित की जाती है।

"193. मुझे प्रतीत होता है कि इसमें बहुत कम संदेह हो सकता है कि यात्रा करने और देश के बाहर जाने का अधिकार, जिसे पासपोर्ट के जारी किए जाने, निलंबन या अभिग्रहण तथा रद्द किए जाने को विनियमित करने वाले आदेश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इस न्यायालय के उन निर्णयों के आधार पर 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अधिकारों में सम्मिलित होना चाहिए, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अत्यंत विस्तृत अर्थ प्रदान किया है।"

14. उपर्युक्त विधिक सिद्धांत का निरंतर अनुसरण किया गया है, और हाल ही में **महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2887** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि:

"2. हमारी संवैधानिक योजना में स्वतंत्रता, राज्य का उपहार नहीं है, अपितु यह उसका प्रथम दायित्व है। किसी नागरिक की भ्रमण करने, यात्रा करने, आजीविका एवं अवसर की तलाश करने की स्वतंत्रता, विधि के अधीन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत गारंटी का एक अनिवार्य अंग है। राज्य, जहाँ विधि उपबंध करे, न्याय, सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था के हित में उस स्वतंत्रता को विनियमित अथवा प्रतिबंधित कर सकता है, किंतु ऐसा प्रतिबंध जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए आवश्यक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं आनुपातिक हो और स्पष्ट रूप से विधि पर आधारित हो, तक ही सीमित होना चाहिए। जब प्रक्रियागत सुरक्षोपाय कठोर अवरोधों में परिवर्तित हो जाते हैं, अथवा अस्थायी अक्षमताओं को अनिश्चितकालीन बहिष्करण का रूप धारण करने दिया जाता है, तो राज्य की शक्ति और व्यक्ति की गरिमा के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है और संविधान की प्रतिज्ञा संकट में पड़ जाती है।"

15. यह एक सामान्य धारणा है कि यह दस्तावेज़ किसी नागरिक को किसी विशेष देश में जाने की अनुमति के साथ सीमा पार करने की अनुमति के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। वैध पासपोर्ट के रखने और विदेश यात्रा करने के कार्य के मध्य अंतर करना महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट, राज्य द्वारा नागरिक को जारी किया गया एक दस्तावेज़ है, जो उसके धारक को वीज़ा के लिए आवेदन करने और, लागू विधियों एवं सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पार करने में सक्षम बनाता है। पासपोर्ट का मात्र जारी किया जाना स्वयं ही किसी भी विधि के उल्लंघन में विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की पूर्वापेक्षा है। नाबालिगों के संदर्भ में, जबकि प्रशासनिक प्राधिकरणों को प्राकृतिक संरक्षकों की सहमति का सत्यापन करना आवश्यक है, ऐसे सत्यापन का उपयोग अधिकारों के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए विफल करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, और प्रक्रियात्मक अनुपालन बिना अनावश्यक विलंब के सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महेश कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि:

"22. वैध पासपोर्ट के रखने और विदेश यात्रा करने के कार्य को पृथक् रखना महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट एक नागरिक दस्तावेज़ है जो उसके धारक को वीज़ा प्राप्त करने और, अन्य विधियों एवं आदेशों के अधीन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पार करने में सक्षम बनाता है..."

16. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6, पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों आदि को अस्वीकृत करने हेतु विशिष्ट उपबंधों से संबंधित है, जिसमें पासपोर्ट अस्वीकृत किए जाने की विभिन्न शर्तों का उल्लेख है, जो निम्नानुसार पुनरुत्पादित की जाती हैं:

"6. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों आदि को अस्वीकृत करना।— (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पासपोर्ट प्राधिकरण धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी देश में जाने के लिए पृष्ठांकन करने से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर और किसी अन्य आधार पर नहीं, अस्वीकृत करेगा, अर्थात:-

(क) कि आवेदक ऐसे देश में ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या होने की संभावना है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिकूल हों;

(ख) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या होने की संभावना है;

(ग) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति उस अथवा किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है,

(घ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक की ऐसे देश में उपस्थिति लोकहित में नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पासपोर्ट प्राधिकरण धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी देश में जाने के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, अस्वीकृत करेगा, अर्थात:-

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है।,

(ख) कि आवेदक भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या होने की संभावना है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिकूल हों।,

(ग) कि आवेदक का भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है या होने की संभावना है;

(घ) कि भारत के बाहर आवेदक की उपस्थिति किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है;

(ङ) कि आवेदक को आवेदन की तिथि के ठीक पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान किसी किसी समय नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो और उस संबंध में दो वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडित न किया गया हो;



(च) कि आवेदक द्वारा किए जाने का आरोप लगाए गए अपराध के संबंध में भारत में किसी दाण्डिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित हो;

(छ) कि किसी विधि के अंतर्गत, जो तत्समय प्रवृत्त हो, किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के उपस्थित होने के लिए वारंट या समन अथवा गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया हो, अथवा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा आवेदक के भारत से प्रस्थान को निषिद्ध करने का आदेश दिया गया हो;

(ज) कि आवेदक को स्वदेश प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो;

(झ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करना लोकहित में नहीं होगा।

(महत्व सनन्विष्ट)"

17. उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट आवेदन को केवल अधिनियम की धारा 6 में प्रगणित विशिष्ट आधारों पर ही अस्वीकृत किया जा सकता है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, लंबित आपराधिक कार्यवाहियाँ, अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध शामिल हैं। प्राधिकरणों के पास किसी अन्य बाह्य अथवा प्रशासनिक आधार पर पासपोर्ट अस्वीकृत करने की कोई सामान्य या विवेकाधीन शक्ति नहीं है। किसी नाबालिग के वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है जो आवेदन को अस्वीकृत किए जाने को उचित ठहरा सके। प्राकृतिक संरक्षकों के मध्य माता-पिता के विवाद अथवा लंबित वैवाहिक एवं आपराधिक मामले, अस्वीकृति का कोई वैध सांविधिक कारण नहीं बन सकते। अतः, पासपोर्ट प्राधिकरण, विहित औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाने और कोई प्रतिषेध आदेश न होने पर, पासपोर्ट को संसाधित एवं जारी करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हैं।

18. पासपोर्ट नियम, 1980, तथा पासपोर्ट मैनुअल, माता-पिता के मतभेद के मामलों में भी नाबालिगों को पासपोर्ट जारी करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराकर इस दृष्टिकोण को बल प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नाबालिग के अधिकार, संरक्षकों के मध्य मतभेदों के अधीन न हों। पासपोर्ट नियमों में नाबालिग के लिए विहित उपबंधों के अनुसार, यदि नाबालिग बच्चे के किसी एक माता-पिता ने पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु सहमति नहीं दी है, तो आवेदन करने वाले माता-पिता को अनुलग्नक (ग) के प्रारूप में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घोषणाकर्ता को यह घोषित करना होता है कि माता-पिता के मध्य विवाह विच्छेद का मामला चल रहा है और नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा भी लंबित है, किंतु सक्षम न्यायालय ने अन्य माता-पिता की सहमति के बिना पासपोर्ट जारी करने पर कोई प्रतिषेध आदेश जारी नहीं किया है और बच्चा उस माता-पिता की एकमात्र भौतिक अभिरक्षा में है। पासपोर्ट नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पिता की सहमति के बिना नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि किसी प्रतिषेध आदेश के अभाव में न्यायालय की अनुमति की भी कोई अपेक्षा नहीं है।

19. अनुलग्नक-ग के अंतर्गत सांविधिक घोषणाएँ विशेष रूप से उस स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई हैं जहाँ कोई एक माता-पिता अनुपलब्ध हो अथवा बिना किसी विधिसम्मत औचित्य के सहमति देने से इनकार करे, अतः पासपोर्ट प्राधिकरण, किसी अनाधारित आपत्ति के आधार पर, किसी आवेदन को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रख सकता, अथवा औपचारिक निर्णय लेने में अनुचित विलंब नहीं कर सकता, विशेषतः तब जब सभी अपेक्षित दस्तावेज़ और घोषणाएँ प्रस्तुत कर दी गई हों और पासपोर्ट जारी किए जाने पर रोक लगाने वाला कोई न्यायालयी आदेश न हो।

20. पासपोर्ट मैनुअल, 2020 का अध्याय 4 नाबालिगों को पासपोर्ट जारी करने संबंधी उपबंधों को विनियमित करता है। उक्त अध्याय का खंड 4 विशेष रूप से नाबालिग आवेदकों की विशेष श्रेणियों को संबोधित करता है और ऐसे समस्त विशिष्ट मामलों में, जिनमें माता-पिता के मध्य लंबित वैवाहिक विवाद अथवा विवाह विच्छेद की कार्यवाहियाँ, तथा एकल अथवा अलग हो चुके माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट जारी कराने हेतु आवेदन करना शामिल है, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक रूप से उपबंध करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने **स्मिता मान बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्ली 2323** में यह अभिमत व्यक्त किया कि मैनुअल की अपेक्षाएँ कठोर अवरोध नहीं हैं, अपितु इन्हें इस प्रकार लचीले ढंग से अर्थान्वित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाबालिग का कल्याण माता-पिता की परस्पर कटुता का बंधक न बने।

21. दिल्ली उच्च न्यायालय ने **स्मिता मान (उपरोक्त)** में कार्यालय ज्ञापन, पासपोर्ट मैनुअल 2020 तथा संगत सांविधिक उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"23. उपर्युक्त उद्धृत तीनों निर्णयों में, जैविक पिता ने वस्तुतः बच्चे से संबंध-विच्छेद कर लिया था और बच्चे के साथ अपने समस्त संबंध तोड़ लिए थे। इस तथ्य के बावजूद कि मैनुअल में लागू होने वाले खंड भिन्न हो सकते हैं, उक्त निर्णयों की मूल भावना स्पष्ट है, अर्थात् कि कतिपय परिस्थितियों में जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है और उपनाम भी बदला जा सकता है। पासपोर्ट मैनुअल और प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धृत कार्यालय जापन दोनों यह स्वीकार करते हैं कि पासपोर्ट विभिन्न परिस्थितियों में पिता के नाम के बिना जारी किए जा सकते हैं। ऐसी राहत पर प्रत्येक मामले में उभरने वाली वास्तविक स्थिति के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता। माता-पिता के मध्य वैवाहिक कलह के मामलों में अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर प्राधिकरणों को विचार करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- एकल अभिरक्षा और केवल मुलाकात के अधिकार सहित विवाह विच्छेद;
- संयुक्त अभिरक्षा और मुलाकात के अधिकार सहित विवाह विच्छेद;
- एकल अभिरक्षा और बिना मुलाकात के अधिकार के विवाह विच्छेद;
- बच्चे को पूरी तरह से नकारने के साथ विवाह विच्छेद;
- बच्चे को कुछ अधिकार दिए जाने सहित विवाह विच्छेद;
- विवाह विच्छेद शुदा दंपति किंतु अधिकार किसी भी पक्ष के दादा-दादी/नाना-नानी में निहित;
- विवाह विच्छेद लंबित और मुलाकात के मुद्दे न्यायालय में लंबित के साथ पृथक्करण;
- किसी भी माता-पिता द्वारा परित्याग;
- ऐसे विवाह विच्छेद या पृथक्करण जहाँ बाद के विवाहों से संबंधित शर्तें हों जो बच्चे के साथ संबंध को प्रभावित कर सकती हों;
- किसी भी माता-पिता द्वारा बच्चे को कानूनी रूप से अस्वीकार करना;
- ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ दंपति अलग-अलग देशों में हों और बच्चे को किसी क्षेत्राधिकार से हटाने का प्रयास किया जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. ऊपर निर्धारित परिस्थितियाँ समग्र नहीं हैं, अपितु यह दर्शाने के लिए उदाहरणात्मक हैं कि नाबालिगों के पासपोर्ट आवेदनों पर विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार विचार एवं परीक्षण किया जाना पड़ सकता है। मैनुअल केवल कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखता है और कुछ तंत्र प्रदान करता है। तथापि, तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर लचीलेपन की आवश्यकता बनी रहती है। न्यायालयी आदेशों की गहन परीक्षा और समझ भी आवश्यक हो सकती है।"

22. नाबालिग को पासपोर्ट जारी किए जाने के प्रश्न पर, जहाँ माता-पिता के मध्य विवाद हो, बंबई उच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता, जो लंबित वैवाहिक कार्यवाही में पक्षकार है, अपनी सहमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर रहा हो। ऐसी परिस्थितियों में एक माता-पिता की सहमति का अभाव नाबालिग के संवैधानिक अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता, और आवेदन को संसाधित करने से यांत्रिक इनकार स्वीकार्य नहीं हो सकता।

23. बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय **युषिका विवेक गेदम बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम्बे 46** में संगत अनुच्छेद निम्नानुसार है:

"23. हम यह भी अभिमत व्यक्त कर सकते हैं कि समकालीन समय में विदेश यात्रा को एक काल्पनिक विषय नहीं माना जा सकता, अपितु यह आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। किसी बच्चे, छात्र अथवा कर्मचारी, पेशेवर या समाज के किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति की यात्रा की जो आवश्यकता हो सकती है, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अतः यात्रा के अधिकार को न केवल मान्यता दी जानी आवश्यक है, बल्कि इसे अधिक सार्थक भी बनाया जाना आवश्यक है। पासपोर्ट अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने वाले प्राधिकरण, पासपोर्ट आवेदनों पर विचार करने में ऐसी समकालीन आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से मान्यता देकर, इसे प्राप्त एवं समर्थित कर सकते हैं। वर्तमान मामला एक ऐसे छात्र का उदाहरण है जिसे विदेश यात्रा करके अध्ययन भ्रमण करने का अवसर दिया गया है। पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट अस्वीकृत करने की कोई भी कार्रवाई न केवल किसी दी गई स्थिति में आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, बल्कि आवेदक के उन भावी उद्यमों की संभावनाओं को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी अपूरणीय क्षति पहुँचा सकती है जिन्हें वह करना चाहती या चाहता हो। अतः, पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

24. इस प्रकार हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता का ऐसा मूल्यवान् संवैधानिक अधिकार पूर्वाग्रहित नहीं हो सकता और न ही उसे छीना जा सकता है, केवल उस आधार पर जो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को जारी आक्षेपित संचार में अंतर्विष्ट है। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 में पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज आदि को अस्वीकृत करने का उपबंध है। याचिकाकर्ता के आवेदन को जिस आधार पर संसाधित नहीं किया जा रहा है वह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 द्वारा किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीकरण को अस्वीकृत करने का विधि में कोई औचित्य नहीं है जबकि याचिकाकर्ता की माता ने अनुलग्नक-ग में घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था।"

24. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी देव्यानी नितीश भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एम.पी. 154 में इसी प्रकार का मत अपनाया है, और याचिकाकर्ताओं, जो नाबालिग पुत्रियाँ थीं, को राहत प्रदान की, जिन्होंने अपनी माता के माध्यम से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल, विदेश मंत्रालय, में अपने पासपोर्ट के नवीकरण के लिए आवेदन किया था। ये निर्णय सांविधिक अनुपालन के महत्व को उजागर करते हैं किंतु यह भी प्रदर्शित करते हैं कि सांविधिक औपचारिकताएँ करते समय, प्राधिकरणों को ऐसे अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं करने चाहिए जो नाबालिग के मूल अधिकारों को विफल करें।

25. प्रतीत होता है कि पासपोर्ट नियम, 1980 ने विशेष रूप से उस स्थिति की परिकल्पना की है जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी नाबालिग के एक माता-पिता की सहमति प्राप्त करना संभव न हो। ऐसे मामलों में, नियम एक सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान करते हैं ताकि नाबालिग का पासपोर्ट पाने का अधिकार विफल न हो। विहित अनुलग्नक ग को आवेदन करने वाले माता-पिता द्वारा पासपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह अनुलग्नक एक मान्यता प्राप्त घोषणा-पत्र है जो अपेक्षित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे पासपोर्ट प्राधिकरण एक माता-पिता की सहमति के अभाव में भी पासपोर्ट को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संसाधित एवं जारी करने में सक्षम होते हैं। तदनुसार, जहाँ नाबालिग का आवेदन अन्यथा उचित क्रम में हो और नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन हो गया हो, पासपोर्ट अस्वीकृत करने का कोई विधिसम्मत कारण नहीं बचता।

26. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यर्थी प्राधिकरणों को निदेश दिया जाता है कि वे पासपोर्ट अधिनियम, 1967, पासपोर्ट नियम, 1980 तथा लागू सरकारी अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार, सामान्य सत्यापन औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन, याचिकाकर्ता का पासपोर्ट अविलंब संसाधित एवं जारी करें। पासपोर्ट प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई विधिक बाधा न हो तो उस तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी किया जाए जब याचिकाकर्ता अपनी माता के माध्यम से प्रक्रियागत अपेक्षाओं का अनुपालन करे, जो प्राधिकरणों द्वारा पहले ही सूचित की जा चुकी हैं।

27. अतः रिट याचिका, उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में, स्वीकृत की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति) (अजित कुमार, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

शिव